न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 39/2017, प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण

उनवान

1. सुरजा देवी बेवा श्योराम
2. प्रेमचन्द } पि0 श्योराम नाबालिग द्वारा प्राकृतिक
3. दिलखुश } संरक्षिका मां सुरजा देवी बेवा श्योराम

} जाति मीना निवासी मिर्जापुरा तहसील लालसोट

प्रार्थीगण

बनाम

1. कजोड पुत्र मांग्या
2. गोरा देवी } पुत्रियां हजारी
3. मौसमी देवी }
4. मु0 मूली देवी बेवा हजारी
5. मीठालाल }
6. भरतलाल } पि0 श्रवण
7. रामअवतार }
8. मु0 सोनी देवी बेवा श्रवण
9. अर्जुन पुत्र कल्याण
10. गल्लूराम } पि0 टूण्डा
11. जगदीश }

समस्त जाति मीना निवासी ग्राम मिर्जापुरा

12. श्री रेवड हाल पदस्थापित तहसीलदार लालसोट जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण याचिका अन्तर्गत धारा 235 रा0 का0 अधि0 बाबत न्यायालय तहसीलदार लालसोट जिला दौसा के समक्ष विचाराधीन रिमाण्ड नामा0 पत्रावली सं0 37/2013 सुरजा बनाम कजोड

उपस्थिति : श्री कमलेश कुमार सैनी अधिवक्ता प्रार्थीगण।
: श्री राकेश कुमार शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 4।

:– निर्णय :– दिनांक 19.12.2017

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि नामा0 सं0 181 दिनांक 8.4.1996 बाबत आराजी खसरा नं0 360, 361, 399 व 436 ग्राम मिर्जापुरा तहसील लालसोट जिला दौसा बाबत् पक्षकारान के मध्य विवाद चला आ रहा है तथा मृतक छाजू के हिस्से की भूमि बाबत् प्रश्नगत नामा0 सं0 181 ग्राम मिर्जापुरा को श्योराम द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय उप जिलाधीश दौसा के समक्ष चुनौती दी गयी जो न्यायालय उप जिलाधीश दौसा द्वारा दिनांक 31.5.1999 को निरस्त कर दी गयी। जिसकी द्वितीय अपील न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त मे की गयी जो भी दिनांक 24.4.2002 को निरस्त कर दी गयी। जिसकी निगरानी प्रार्थिनी के पति श्योराम द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में की गयी, जिस पर दिनांक 12.5.2010 को निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये नामा0 सं0 181 दिनांक 8.4.1996 निरस्त किया गया तथा तहसीलदार लालसोट को उभयपक्षकारान को

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

समूचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रकरण में विस्तृत जांच कर नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु आदेशित किया। जिसकी अनुपालना में तहसीलदारलालसोट द्वारा दिनांक 5.2.2013 को निर्णय पारित करते हुये ग्राम पंचायत मिर्जापुरा का निर्णय यथावत रखा गया जिसके विरूद्ध प्रथम अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष की गयी। जिसे दिनांक 10.8.2016 को स्वीकार करते हुये उभयपक्षकारो को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर देते हुये पुनः निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार लालसोट को आदेशित किया गया जिसकी पालना में तहसीलदार लालसोट के समक्ष उक्त पत्रावली विचाराधीन है। न्यायालय तहसीलदार लालसोट के समक्ष विचाराधीन रिमाण्ड नामा0 उनवानी सुरजा बनाम कजोड़ प्र0 सं0 37/2013 को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया गया है।

प्रार्थना पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लालसोट से टिप्पणी प्राप्त की गई। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया गया कि न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त महोदय जयपुर के निर्णयानुसार सुनवाई करने हेतु तहसीलदार लालसोट द्वारा उभयपक्ष को नोटिस जारी किये गये तथा नियत दिनांक 1.3.2017 के पश्चात् पत्रावली में दिनांक 6.4.2017 को प्रार्थी की अनुपस्थिति दर्ज करते हुये अप्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र शामिल कर लिये गये। पत्रावली में साक्ष्य प्रार्थिया में भी अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 26.4.2017 को रामकन्या को शपथ पत्र पेश किया। तत्पश्चात् दिनांक 25.5.2017 को प्रार्थना पत्र पेश किया जिसका निस्तारण नहीं किया गया है। तहसीलदार लालसोट द्वारा बिना विधि के प्रावधानो तथा प्रक्रियात्मक विधि के प्रावधानो की पालना के ही प्रकरण का निस्तारण अप्रार्थी कजोड के पक्ष में करने को आमादा है। वास्तविक न्याय के लिये यह आवश्यक है कि न्याय हो रहा है यह दिखना चाहिये। प्रकरण में अप्रार्थी एवं तहसीलदार लालसोट की गतिविधियों से प्रार्थिया को यकीन हो गया है कि तहसीलदार लालसोट के न्यायालय से न्याय नही मिल सकता है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त है कि पक्षकार को जहां से न्याय की उम्मीद नही हो वहा पर सुनवाई नही करवाकर पत्रावली का अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरण कर दिया जाना चाहिये। बतौर नजीर अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा आर0आर0टी0 2016 पेज नं0 164 काली देवी बनाम सुन्दरी वगैरा, आर0आर0टी0 2016 (1) पेज नं0 335 ओमकार बनाम शक्ति सिंह एवं आर0आर0टी0 2014 पेज नं0 516 तृप्ति विश्नोई बनाम हर्षवर्धन सिंह राठौड पेश करते हुये निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावे।

जवाब बहस के दौरान अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 लगायत 4 द्वारा निवेदन किया गया कि प्रकरण संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा रिमाण्ड कर उभयपक्षकारो को सुनवाई का अवसर देते हुये जांच कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार लालसोट को आदेशित किया गया है। प्रकरण से सम्बन्धित पत्रावली को राजस्व मण्डल अजमेर अथवा संभागीय आयुक्त महोदय जयपुर के यहा आवेदन प्रस्तुत करके ही अंतरित करायी जा सकती है। अतः प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमाया जावे।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लालसोट से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया। जिससे यह तथ्य स्पष्ट है कि न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त महोदय जयपुर के निर्णय दिनांक 10.8.2016 के द्वारा प्रकरण तहसीलदार लालसोट को प्रति प्रेषित किया जाकर प्रकरण में विस्तृत जांच कर उभयपक्षकारों को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर देते हुये नामान्तरकरण पर पुनः निर्णय पारित करने हेतु आदेशित किया गया है। उक्त संदर्भ में अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उद्धरणो का भी ससम्मान अवलोकन किया गया। चूंकि प्रकरण राजस्व मण्डल एवं न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त महोदय जयपुर द्वारा निर्णय पारित कर तहसीलदार लालसोट को प्रतिप्रेषित कर आदेश प्रदान किये गये है। अतः प्रकरण में कोई हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लालसोट को तहरीर जारी कर निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 19.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा